संख्याः 2348/ श0वि0नि0–16–17–307(अके0निय0) / 03

ई-मेल

प्रेषक,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

1– नगर आयुक्त,
समस्त नगर निगम,
उत्तराखण्ड।

2– अधिशासी अधिकारी,
समस्त नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,
उत्तराखण्ड।

देहरादून : दिनांक 7 मार्च, 2017

विषयः– **उत्तराखण्ड पालिका (अकेन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (समूह ''ग'') नियमावली, 2017 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–244 / IV(1) / 2017–01(61) / 2015, दिनांक 27–02–2017 के माध्यम से शासन की अधिसूचना संख्या–243 / IV(1) / 2017–01(61) / 2015, दिनांक 27–02–2017 द्वारा उत्तराखण्ड पालिका (अकेन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (समूह ''ग''), नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गयी है।

2– अतः ''उत्तराखण्ड पालिका (अकेन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (समूह ''ग''), नियमावली, 2017'' की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नः–यथोक्त्।

(सुभाष गुप्ता)
संयुक्त निदेशक,
कृते–निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुभाष गुप्ता)
संयुक्त निदेशक,
कृते–निदेशक।

2084

आज प्राप्त
दिनांक 2/3/17 20
प्राप्तकर्ता
शहरी विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–1
संख्या– 244 / IV(1)/2017–01(61)/2015
देहरादून दिनांक 27 फरवरी, 2017

अधिसूचना संख्या–243/IV(1)/2017–01(61)/2015, दिनांक 27 फरवरी, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड पालिका (अकेन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (समूह ग) नियमवली, 2017 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त कुमायूँ/गढवाल मण्डल।
6. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्त नियमावली को असाधारण गजट में प्रकाशित कर 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

JD/CAO
समस्त ULBS को परिचालित करें।
4.3.17 AD.
4.3.17 JD
AD II
7/3/17 CAO

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–1
संख्या 243/ IV(1)/2017–01(61)/2015,
देहरादून दिनांक 27 फरवरी,2017

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 113(2)क तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 69 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस विषय में पूर्व में जारी नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों की भर्ती एवं उसमें नियुक्त व्यक्तियों की शर्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तराखण्ड पालिका (अकेन्द्रीयित) कर्मचारी सेवा (समूह 'ग') नियमावली, 2017

भाग 1 – सामान्य

संक्षिप्त नाम और लागू होना 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पालिका (अकेन्द्रीयित) कर्मचारी (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. इस नियमावली में जैसा कि नियम 3 के खण्ड (छ) में परिभाषित है, सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के समूह "ग" के, पालिका केन्द्रीयित सेवा संवर्ग के पदों को छोडकर, सभी पद सम्मिलित हैं।

परिभाषायें 3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 107 की उपधारा (3) (ख) एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 74 में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत के संविधान" के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(ग) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(घ) " राज्यपाल" से "उत्तराखण्ड का राज्यपाल" अभिप्रेत है;

(ड) " सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) " निदेशक" से निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 74 एवं 75 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 107 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की उपधारा 3(ख) या आदेशों के अधीन अकेन्द्रीयित सेवा के संवर्ग में स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति एवं कालान्तर में इस नियमावली के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "पालिका सेवा" से उत्तराखण्ड के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों की सेवा अभिप्रेत है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा नियमों के अन्तर्गत नियमित चयन के परिणामस्वरूप की गयी हो;

(ञ) "अधिनियम" से उ0प्र0नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) तथा उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) अभिप्रेत है;

(ट) "पालिका" से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतें अभिप्रेत है;

(ठ) "आयोग" से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है;

(ड) "मुख्य नगर अधिकारी" से सम्बन्धित नगर निगम के नगर आयुक्त/मुख्य नगर अधिकारी अभिप्रेत है;

(ढ) "अध्यक्ष" से नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के यथा निवार्चित 'अध्यक्ष' अभिप्रेत है;

(ण) "अधिशासी अधिकारी" से सम्बन्धित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में नियुक्त अधिशासी अधिकारी अभिप्रेत है;

(त) "भर्ती का वर्ष" से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग – 2 – संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाये।

(2) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक नियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाये, उतनी होगी जितनी नगर निगमों, सभी श्रेणी की नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के ऐसे पद जो शासन द्वारा सृजित किये जाय।

परन्तु यह कि–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद हेतु पात्र/उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने की दशा में रिक्त छोड़ सकेंगे अथवा राज्य सरकार किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेगा कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ख) राज्य सरकार ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे।

भाग 3 – भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत समूह 'ग' के विभिन्न श्रेणियों के निम्नलिखित पदों पर भर्ती का स्रोत निम्नवत् होगाः–

क्रम सं0	संवर्ग का नाम	पदनाम	भर्ती का स्रोत
(1)	पालिका मिनिस्ट्रियल सेवा	कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	(एक) 70 प्रतिशत सीधी भर्ती से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। (दो) कनिष्ठ सहायक के कुल सृजित पदो में से 15 प्रतिशत हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा 10 प्रतिशत इण्टरमीडियट अथवा इससे उच्च परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी में से, जिन्होंने समूह "घ" के पद पर भर्ती के प्रथम दिवस

			को न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जायेगी; परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी न होने की दशा में ऐसे पदों को उच्चतर परीक्षा उर्त्तीण अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा; (तीन) 5 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस निकाय के वाहन चालकों से, जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उर्त्तीण व भर्ती के प्रथम दिवस को 05 वर्ष की सेवा पूर्व कर चुके हों, में से पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी।
(2)	पालिका लेखा सेवा	लेखा लिपिक	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(3)	पालिका अभियन्त्रण सेवा	मानचित्रकार	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(4)	पालिका लोक स्वास्थ्य सेवा	पर्यावरण पर्यवेक्षक	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(5)	पालिका राजस्व सेवा	कर संग्रहकर्ता/कर एवं राजस्व मोहरिर	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4 अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी;

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिये, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा कीनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) तथा (ग) से संबन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबन्धित अभ्यर्थी के लिये भी पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

(घ) उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी हो तथा उसका नाम उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

8. सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी में निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहियेः **शैक्षणिक अर्हता**

(1) अनिवार्य अर्हता–

क्रम सं0	वर्तमान में सृजित पदनाम	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता
(1)	**कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर**	1–केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से इण्टरमीडिएट। 2–टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।
(2)	**लेखा लिपिक**	1–केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से इण्टरमीडिएट (कामर्स) उत्तीर्ण। 2–टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।
(3)	**मानचित्रकार**	1–केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से इण्टरमीडिएट। 2– केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में डिप्लोमा/ आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र।
(4)	**पर्यावरण पर्यवेक्षक**	केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से विज्ञान वर्ग से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।
(5)	**कर संग्रहकर्ता/कर एवं राजस्व मोहर्रिर**	केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।

(2) अधिमानी अर्हता– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने,

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

टिप्पणीः – यदि ऐसे किसी विशिष्ट पद पर जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित हों, पदोन्नति के लिये कोई पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उस पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकेगा।

9. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है उस वर्ष की 01 जनवरी को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी, परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यार्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाये, अधिकतम आयु उतनी बढ़ायी जायेगी जैसा कि विहित किया जाये। **आयु**

टिप्पणी–भर्ती हेतु आयु के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों पर भी लागू होंगे।

चरित्र

10 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।
टिप्पणीः –संघ या राज्य सरकार अथवा संघ या राज्य सरकार के स्वामित्व नियंत्रणाधीन या किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

11. पुरूष, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

परन्तु, यह कि यदि सरकार को यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से मुक्त किया जा सकेगा।

शारीरिक योग्यता

12. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगाः

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिये स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं की जायेगी।

भाग 5 भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

13. नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करके एक सूची प्रतिवर्ष अक्टूबर तक अधियाचन प्रपत्र सहित रिक्तियों की सूचना शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित करेगा। निदेशालय द्वारा निकायवार संकलित सूचना शासन को प्रेषित की जायेगी।

सीधी भर्ती के लिये प्रक्रिया

14. कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, लेखा लिपिक, मानचित्रकार, पर्यावरण पर्यवेक्षक और कर संग्रहकर्ता/कर एवं राजस्व मोहर्रिर के पद उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जायेंगे।

पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया

15. (1) लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति/चयन श्रेष्ठता के आधार पर एक लिखित परीक्षा लेकर चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(एक)	नगर आयुक्त/मुख्य नगर अधिकारी, संबंधित नगर निगम /अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।	अध्यक्ष
(दो)	जिलाधिकारी द्वारा नामित एक जिलास्तरीय अधिकारी	सदस्य
(तीन)	जिलाधिकारी द्वारा नामित वित्त सेवा के कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी	सदस्य
(चार)	सम्बन्धित नगर निगम, के उप नगर आयुक्त /उपनगर अधिकारी /सहायक नगर आयुक्त/सहायक नगर अधिकारी तथा संबंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी।	सदस्य

(2) समूह "घ" एवं वाहन चालकों से लिपिक वर्गीय पदों पर भर्ती/पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों पर चयन श्रेष्ठता के आधार पर साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। परीक्षा कुल 100 अंकों की होंगी, उपरोक्त के अतिरिक्त हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली जायेंगी, टंकण में 4000की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति आवश्यक होगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पालिका अकेन्द्रियित सेवा के समूह 'ग' के कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा ऑपरेटर के प्रोन्नति के पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता/पात्रता सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायें। पदोन्नति राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक संवर्गीय नियमावली, 2011 समय–समय पर यथासंशोधित अथवा समय–समय पर कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमावली/आदेश अथवा दिशा–निर्देशों के प्राविधानों के अधीन की जायेगी।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

16. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग 6 – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. (1) नियम 15 के उपनियम (3) के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें से नियम–14, 15 अथवा 16 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियॉ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतो से चयन न किया गया हो।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम मे यथास्थिति जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

स्थानान्तरण

18. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा समूह 'ग' के ऐसे कार्मिकों जिनका वेतन बैण्ड रू0 5200–20200, ग्रेड वेतन रू0 2000/–से उच्च ग्रेड का है और जो स्थानीय निकायों के संरचनात्मक ढांचे के फलस्वरुप मिनिस्ट्रियल संवर्ग एवं अन्य संवर्गों में पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पदोन्नत होने के उपरान्त पालिका केन्द्रियित सेवा संवर्ग में सम्मिलित हो जायेगें, का स्थानान्तरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी नगर निकाय में किया जा सकेगा। कार्मिको के स्थानान्तरण में राज्य में प्रवृत्त स्थानान्तरण नीति, 2008 अथवा समय–समय राज्य सरकार द्वारा यथासंशोधित अथवा जारी नियम लागू होगे।

इस नियमावली के प्रख्यापन के बाद पालिका अकेन्द्रियित सेवा के अन्तर्गत नियुक्त उक्त संवर्ग के कार्मिकों को विकल्प देने का अधिकार होगा कि वह पालिका केन्द्रियित सेवा में आना चाहते हैं अथवा पालिका अकेन्द्रियित सेवा संवर्ग में ही बने रहना चाहते हैं। एक बार दिया गया विकल्प अंन्तिम होगा। विकल्प न दिये जाने की परिस्थिति में संबंधित नियुक्त कार्मिक को पुनर्गठन ढांचे के अन्तर्गत ए0सी0पी0 के लाभ की अनुमन्यता नहीं होगी।

परिवीक्षा

19.(1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिविक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक

अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

परिवीक्षाधीन व्यक्ति

20. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा, यदि –

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

21. (1) किसी व्यक्ति का ज्येष्ठता अवधारण उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते है तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं:

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किये जाते हैं तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा:

(2) इस नियमावाली के प्रख्यापन के बाद किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी भर्ती के नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जिस प्रकार उनके नाम चयन की सूची में अवधारित होंगे;

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने मे असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहॉ नियुक्तियॉ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती हैं और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता इस नियमावली के नियम 16 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे:

परन्तु यह कि–

(एक) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाती हैं वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हों, नीचे कर दी जायेंगी।

(दो) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी

नियुक्ति की गयी है। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(तीन) जहाँ नियमों या विहित प्रकिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियम या प्रकिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, मानो उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी है।

(5) पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के इस नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व से नियुक्त कार्मिकों की उनके विकल्प के आधार पर चयनित सेवा संवर्ग में नियुक्त समूह 'ग' के कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता का संबंधित संवर्ग में नियमानुसार निर्धारण संबंधित पद के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा और निकायों के पुनर्गठन ढांचा दिनांक 12–06–2015 के फलस्वरूप समूह'' ग' के पालिका केन्द्रियित सेवा में सम्मिलित पदों पर प्रोन्नति की कार्यवाही हेतु स्थानीय निकायों द्वारा उक्तानुसार जारी की गई संवर्गवार अन्तिम ज्येष्ठता सूचियों के आधार पर ऐसे संवर्गवार विकल्पधारी पालिका अकेन्द्रियित सेवा के कार्मिकों की संबंधित संवर्ग में राज्य स्तरीय ज्येष्ठता का निर्धारण निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 समय–समय पर यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

भाग 7– वेतन व अन्य

वेतनमान

22.(1) सेवा मे विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय पदनाम/वेतनमान निम्नवत होगें:–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन
(1)	कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन 2000/–
(2)	लेखा लिपिक	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000/–
(3)	मानचित्रकार	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800/–
(4)	पर्यावरण पर्यवेक्षक	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000/–
(5)	कर संग्रहकर्ता/कर एवं राजस्व मोहर्रिर	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000/–

परिवीक्षा के दौरान वेतन

23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी पालिका सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी:

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पालिका के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा:
परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगीं।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 8 – अन्य प्रावधान

भविष्यनिधि

24. अक्टूबर, 2005 से पूर्व मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों की भविष्य निधि की धनराशि पूर्व व्यवस्था के अनुसार पालिका द्वारा उनके भविष्य निधि में खाते में जमा की जायेगी।

पेंशन

25. अकेन्द्रीयित सेवा में अक्टूबर 2005 के उपरान्त नियुक्त कार्मिक, राज्य सरकार के कार्मिकों की भांति नेशनल पेंशन स्कीम से आच्छादित होंगे।

एन0एस0डी0एल0 में पंजीकरण हेतु अकेन्द्रीयित सेवा में अक्टूबर 2005 के उपरान्त नियुक्त कार्मिकों को नेशनल पेंशन स्कीम से आच्छादित किये जाने हेतु पेंशन निधि विकास प्राधिकारी को सहमति पत्र उपलब्ध कराया जाना होगा ताकि इसका पंजीकरण एन0एस0डी0एल0 में किया जा सके।नेशनल पेंशन स्कीम हेतु पंजीकरण निदेशालय, लेखा एवं हकदारी जो इस हेतु नोडल अधिकारी नामित हैं, के माध्यम से की जायेगी।

पेंशन अंशदान– पेंशन निधि में वेतन, ग्रेड पे व महगांई भत्ता का 10 प्रतिशत धनराशि नियोक्ता द्वारा एवं वेतन, ग्रेड पे व महगाई भत्ता के 10 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित कार्मिक के वेतन से कटौती की जायेगी। अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों का नियोक्ता अंशदान राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर निकाय को संक्रमित की जाने वाली धनराशि/निकाय के स्वयं के स्रोतों से की जायेगी। कर्मचारी अंशदान निकाय द्वारा सम्बन्धित कार्मिक के वेतन से प्रतिमाह नियमित कटोती कर सम्बन्धित निकाय द्वारा पृथक से पेंशन निधि खाते में जमा की जायेगी, जिसके लिये सम्बन्धित निकाय में नियोक्ता उत्तरदायी होंगे। निकाय द्वारा नियोक्ता एवं कार्मिकों की अंशदान की धनराशि को एक साथ कोषागार में जमा किया जायेगा, जो तत्पश्चात इसे एनएसडीएल को उपलब्ध करायेगी।

पेंशन का लेखाकंन– अकेन्द्रीयित कर्मचारियों का पेंशन सम्बन्धी लेखांकन निकाय स्तर पर किया जायेगा।

नोडल ऐजेन्सी– अकेन्द्रीयित कर्मचारियों का पेंशन हेतु नोडल ऐजेन्सी सम्बन्धित निकाय होगे।

अकेन्द्रीयित सेवा में अक्टूबर, 2005 से पूर्व नियुक्त कार्मिको को उत्तर प्रदेश नगर पालिका (अकेन्द्रीयित) सेवानिवृत्त लाभ नियमावली, 1984 (समय–समय पर यथासंशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में दी गयी पूर्व व्यवस्था की भॉति पेंशन सुविधा अनुमन्य रहेगी।

अवकाश , अवकाश भत्ता, स्थानापन्न वेतन, शुल्क तथा मानदेय

26. (1) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित व्यवस्था को छोडकर अवकाश तथा अवकाश वेतन से सम्बद्व सभी मामले समान प्रास्थिति के सरकारी सेवकों पर प्रयोज्य अवकाश संबंधी नियमों में निर्धारित रीति से विनियमित होगें और समय–समय पर जारी किये गये संशोधन की सभी व्याख्याओं और स्पष्टीकरणों सहित यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगें।

(2) वेतन जिसके अन्तर्गत स्थानापन्न वेतन और अतिरिक्त वेतन भी है, विशेष वेतन, मानदेय, प्रतिकर भत्ता, निर्वाह भत्ता तथा शुल्कों की स्वीकृति उन्हीं शर्तो पर विनियमित होगी जो समान प्रास्थिति के सरकारी सेवकों पर वित्त हस्त पुस्तिका के खण्ड 2 भाग 2 से 4 तक में किये गये मूल नियमो और सहायक नियमो के अधीन प्रयोज्य हो।

(3) इस नियमावली में स्पष्ट रूप से उपबंधित व्यवस्था को छोडकर वित्त हस्त पुस्तिका के खण्ड 2 भाग 2 से 4 तक में दिये हुए मूल नियमो एवं सहायक नियमों तथा वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड 3 में दिये हुए यात्रा–भत्ता नियम यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगें।

सेवा निवृत्ति की आयु

27. पालिका अकेन्द्रियित सेवाओं के समस्त कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु साठ वर्ष अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जैसा निर्धारित किया जाय होगी, जिसके पश्चात साधारणतया किसी भी कार्मिक को पालिका की सेवा में नहीं रखा जायेगा।

सेवा निवृर्तिक लाभ

28. पालिका (अकेन्द्रीयित) सेवा के कर्मचारी जिस पालिका से निवृत होंगे उनके सभी सेवा निवृत्तिक लाभ उसी नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत से संगत नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत भुगतान किये जाएगें।

29. (1) ऐसे उपान्तरों के अधीन रहते हुये, जो राज्य सरकार समय समय पर इस सम्बन्ध में किये जाये, अनुशासनिक कार्यवाही, दण्ड के विरूद्व अपील और अभ्यावेदन संबंधी कार्यवाही उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी। **अनुशासनिक कार्यवाहियॉ**

(2) पालिका अकेन्द्रियित सेवा के कर्मचारियों पर कोई दीर्घ या लघु दण्ड आरोपित करने के लिये इस नियमावली में विहित नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी होगें।

30. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति पर विचार किया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा। **पक्ष समर्थन**

31. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अंतर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों का साधारण लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे। **अन्य विषयों का विनियमन**

32. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पडेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो। **व्यावृति**

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order publication of the following English translation of notification no. 243/ IV(1)/2017-01(61)/2015, dated 27 february, 2017 for general information

UTTARAKHAND GOVERNMENT
Urban Development
No 243 / IV(1)/2017-01(61)/2015,
Dated Dehradun, February 27, 2017

NOTIFICATION
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by section 113(2)(a) of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959(Uttar Pradesh Act No. 2 of 1959) (as applicable to the state of Uttrakhand) and section 69-B of the Municipalities Act, 1916 (Uttar Pradesh Act No. 2 of 1916) (as applicable to the state of Uttrakhand),and in supersession of earlier issued rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Palika Non-Centralised Services.

THE UTTARAKHAND PALIKA (NON-CENTRALISED) EMPLOYEES SERVICES (GROUP 'C') RULES, 2017

PART I

GENERAL

Short title, Commencement and Application

1. (1) These Rules may be called "The Uttarakhand Palika (Non Centralised) Employees Service (Group 'C') Rules, 2017

(2) It shall come into force at once.

Status of the Service

2. These Rules as is defined under clause-(g) of Rule 3 comprise of all posts except the Group 'C' posts of Palika Centralised Services Cadre in Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats.

3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context,- **Definitions**

(a) "Appointing Authority" means the authority specified in sub-section (3)(b) of section-107 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act,1959 (as applicable to the State of Uttrakhand) and in section-74 of The Uttar Pradesh Municipalities Act-1916(as applicable to the State of Uttrakhand);

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a " citizen of India" under Part II of the Constitution;

(c) "Constitution" means the Constitution of India;

(d) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;

(e) "Government " means the Government of Uttarakhand

(f) "Director" means the Director of the Urban Development, Uttarakhand;

(g) "Member of the service" means a person substantively appointed to a post of Non-Centralised services cadre under section-74 and 75 of The Uttar Pradesh Municipalities Act 1916(as applicable to the state of Uttrakhand) or under sub-section 3(b) of section-107 of The Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (as applicable to the state of Uttrakhand) or orders in force prior to the commencement of these rules and appointed under these rules in future;

(h) "Palika Service" means the service of Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats of Uttarakhand;

(i) "Substantive appointment" means an appointment not being an adhock appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules;

(j) "Act" means The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (as applicable to the state of Uttrakhand) and The Uttar Pradesh Municipal Corporation Act 1959 (as

applicable to the state of Uttrakhand)

(k) "Municipality" means all Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats of Uttarakhand

(l) "Commission" means the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission

(m) "Mukhya Nagar Adhikari" means Municipal Commissioner/Mukhya Nagar Adhikari of concerned Municipal Corporation

(n) "President" means duly elected President of a Municipal Council/Nagar Panchayat;

(o) "Executive Officer" means executive officer posted in concerned Municipal Council/Nagar Panchayat;

(p) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of july of a calendar year;

PART II
CADRE

Cadre of Service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and each category of posts therein shall be such, until orders varying the same are passed under sub-rule(1) as created by the Government for Municipal Corporations, all categories Municipal Councils and Nagar Panchayats.

Provided that-

(a) The Appointing Authority may leave unfilled or the Government may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

(b) The Government may create such additional permanent or temporary posts as it may consider proper;

PART III
RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. The source of recruitment to the following posts of various categories of Group 'C' under Palika Non-Centralised services shall be as follows-

S.N	Name of Cadre	Name of Post	Source of Recruitment
(1)	**Palika Ministerial Service**	Junior Assistant cum Computer Data Entry Operator	(i) 70 percent by direct recruitment through Uttrakhand subordinate service selection Commission. (ii) 25 percent of the total sanctioned posts of Junior Assistant shall be filled from such 15 percent High school passed and 10 percent Intermediate or higher exam passed regular employees, who have completed at least five years of service on the first day of recruitment year on the post of group'D'. Provided that those posts for which sufficient high school passed candidates are not available, may be filled by promotion from the candidates who have passed higher exam. (iii) 5 percent of the vacancies shall be filled by

			promotion from the drivers of the said Municipality who have passed high school or higher exam and have completed five years of service on the first day of recruitment year, by the Appointing Authority.
(2)	**Palika Accounts Service**	Account Clerk	Direct recruitment through Uttarakhand Sub-ordinate Service Selection Commission
(3)	**Palika Engineering Service**	Draftsman	Direct recruitment through Uttarakhand Sub-ordinate Service Selection Commission
(4)	**Palika Public Health Service**	Environment Supervisor	Direct recruitment through Uttarakhand Sub-ordinate Service Selection Commission
(5)	**Palika Revenue Service**	Tax Collectors/ Tax & Revenue Moharrir	Direct recruitment through Uttarakhand Sub-ordinate Service Selection Commission

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes and other Categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART IV
QUALIFICATION

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:-

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanganyika (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

(d) a permanent resident of Uttarakhand and his name is registered with any Employment office of the State of Uttarakhand.

Academic Qualification

8. (1) Essential Qualification- A candidate for recruitment to various posts in this service must possess following qualifications:-

S.N	Name of Present Sanctioned post	Essential Qualification
(1)	**Junior Assistant with Computer Data Entry Operator**	1. Intermediate from a board / Institution recognized by the Centre or State Government. 2. Typing Speed at 4000 key depressions per hour.
(2)	**Account Clerk**	1. Intermediate with Commerce from a Board/Institution recognized by the Centre or State Government. 2. Typing Speed at 4000 key depressions per hour
(3)	**Draftsman**	1. Intermediate from a Board / Institution recognized by the Centre or State Government. 2. Diploma in Concerned Trade/ I.T.I. Certificate from a Institution recognized by the Centre or State Government.
(4)	**Environment Supervisor**	Intermediate with Science from a Board/ Institution recognized by the Centre or State Government
(5)	**Tax collector/ Tax and Revenue moharrir**	Intermediate from a Board / Institution recognized by the Centre or State Government.

(2) Preferential Qualification- Other things being equal, preference be given in the matter of direct recruitment to such

candidate who has-

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps.

Note:- Direct recruitment can be made for any specific post required to be filled by promotion if no eligible candidate is available.

Age

9. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period January 1 to June 30.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes other Backward classes and such other categories of the state of uttrakhand as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Note- Government orders issued by the karmic department from time to time regarding age for recruitment shall also be applicable to the employees of Non-Centralised Services.

Character

10. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation owned or controlled shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible for appointment.

Marital Status

11. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man, already having a

wife shall not be eligible for appointment to a post in the service;

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness

12. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidates is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part III:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V
PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of Vacancies

13. The Appointing Authority shall determine as per prevailing rules the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to State of Uttarakhand under Rule 6 and shall submit every year till October a list of vacancies with requisition form to the Urban Development Directorate. The Directorate shall forward the consolidated Municipality wise information to the Government.

Procedure for Direct Recruitment

14. (1) The post of Junior clerk cum data entry operator, Account clerk, Draftsman, Environment superviser and Tax collector/Tax and revenue moharrir shall be filled through the Uttarakhand Sub-ordinate Service Selection Commission

15. (1) Promotion/Selection to the posts of Ministerial class vacancies shall be made on the basis of merit by a written test through the Selection Committee which shall Comprise of following members; **Procedure for Recruitment fo Promotion**

(i)	Municipal Commissioner/ Mukhya Nagar Adhikari of concerned Municipal Corporation/ President of concerned Municpal Council/ Nagar Panchayat	Chairman
(ii)	District level officer nominated by District Magistrate	Member
(iii)	Treasury officer/Deputy Treasury officer of finance service nominated by District Magistrate	Member
(iv)	Deputy Municipal commissioner/Up Nagar Adhikari/ Assistant Municipal commissioner/Sahayak Nagar Adhikari of concerned Municipal Corporation and Executive Officer of concerned Municipal Council/Nagar Panchayat	Member

(2) Selection to the vacancies of Clerical posts reserved for recruitment/promotion from amongst Group'D' and Drivers, shall be made on the basis of merit by conducting a simple test. There shall be an examination of a single question paper which will include objective type questions of General Studies, General Knowledge and General Hindi. The test shall carry One hundred marks beside test of Hindi typewriting also be taken. Candidates having a speed of less than 4000 key depressions per hour in typing shall be essential.

(3) The Appointing Authority shall prepare a seniority/eligibility list of candidates eligible for promotion on the post of Junior Assistant cum Data Entry Operator of Group 'D' Palika Non-Centralised Service and place it before the Selection Committee along with the character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper. The promotion shall be made under the provision of issued rules/order or direction by the personal dept from time to time or clerical cadre rules, 2011 under the state services.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the Appointing Authority.

Combined Select List

16. If in any year of recruitment are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists; in such manner that the prescribed percentage is maintained. The first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART VI

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENORITY

Appointment

17. (1) Subject to the provisions of sub rule (3) of Rule 15, the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under Rule 14, 15 and 16.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotions, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order.

18. The Director, Urban Development Directorate, may transfer such employees of Group 'C' whose pay band is of higher grade than Rs. 5200- 20200, grade pay Rs. 2000 and who due to restructure of local bodies, have been merged in the Palika Centralised Service Cadre after promotion in Ministerial Cadre and other Cadres in accordance with the Palika Centralised Rules, in any of the Municipalities of the State of Uttarakhand. The transfer policy, 2008 or Rules issued or amended by State Government from time to time, shall be applicable for the transfer of employees. **Transfer**

After promulgation of this rule, the said Cadre employees appointed under Non-Centralised services, shall have the right of giving an option of wanting to join the Palika Centralised Services or to remain in the cadre of Palika Non-Centralised Services. The option once given shall be final. In such situation where option is not given, the concerned appointed employee shall not be entitled to the benefit of A.C.P. under re-organised structure.

19. (1) A person on appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years. **Probation**

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the

extension is granted.

provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation

20. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if-

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory.

(b) his integrity is certified, and

(c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

21. **(1)** The Seniority of any persons shall be determined in accordance with the Uttaranchal Government Servants Seniority Rules, 2002. If two or more persons are appointed together, their seniority shall be determined according to the order in which their names are arranged in the appointment order.

provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it will mean the date of issue of the order.

(2) The Seniority *inter se* of persons appointed directly on

the result of any one selection after promulgation of these Rules, shall be the same as their names are arranged in the select list;

provided that a Candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy's offered to him.

(3) The Seniority *inter se* of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(4) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more than one source and the respective quota of the sources is prescribed, the *inter se* seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with Rule 17, in such manner that the prescribed percentage is maintained;

provided that-

(i) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, form seniority, to subsequently year or years in which there are vacancies in accordance with the quota.

(ii) Where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made. So however, that in the combined list of that year, to be prepared under this Rule, their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order, of the other appointees.

(iii) Where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure be filled from the other source and

appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies quota.

(5) Based on the Option of employees appointed prior to promulgation of these Palika Non-centralised Service Rules, the Seniority *inter se* of the group 'C' employees in the selected Service Cadre shall be determined as per rule by the concerned Appointing Authority and on the basis of such Cadre wise final Seniority list issued by the Municipalities for promotion on the group 'C' posts included in the Centralised Service subsequent to re-organised Structure of Municipalities on 12.06.2015, the State level Seniority of such Option holder employees of Non-Centralised Service shall be determined in their respective Cadre by the Director, Urban Development Directorate, Uttarakhand under provisions of The Uttarakhand Government Servants Seniority Rules 2002 (as amended from time to time).

PART VII
PAY Etc.

Scales of Pay

22. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given as follows;

S.No	Name of Post	Pay Band/Grade Pay
1	Junior Assistant with Computer Data Entry Operator	Rs 5200-20200 Grade pay 2000/-
2	Account Clerk	Rs 5200-20200 Grade pay 2000/-

3	Draftsman	Rs 5200-20200 Grade pay 2800/-
4	Environment Supervisor	Rs 5200-20200 Grade pay 2000/-
5	Tax collector/Tax and Revenue moharrir	Rs 5200-20200 Grade pay 2000/-

Pay during probation

23. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed;

provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Municipality, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules;

provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of such person who is already in the permanent government service shall be regulated by the relevant Fundamental Rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII
OTHER PROVISIONS

Provident Fund

24. The amount of provident fund of employees appointed in a

substantive capacity prior to October 2005, shall be deposited in their provident Fund accounts by the Municipality as per old system.

Pension

25. The employees appointed after October 2005 in Non-Centralised Service shall be governed by the National Pension Scheme for registration with NSDL, to cover employees appointed after October 2005 in the Non-Centralised Service under the National Pension Scheme, a letter of Consent shall be made available to Pension Fund Development Authority.

The registration for National Pension Scheme shall be done through The Directorate of Accounts and Establishment which is nominated as the Nodal Officer.

Pension Contribution- To the Pension Fund, the Employer's contribution at the rate of 10 percent of the Pay, Grade pay and Dearness Allowances and the employee's subscription deducted at the rate of 10 percent of the Pay, Grade pay and Dearness Allowances from his salary, shall be deposited. The Employer's contribution of the non-centralised employees shall be met from the amount devolved to Municipalities on recommendation of the State Finance Commission/Income from own sources of Municipalities.

The employees subscription shall be regularly deducted every month from the salary of concerned employee by the Municipality and shall be deposited regularly in a separate Pension account. The employer of the concerned Municipality shall be held responsible for this. The Municipality shall deposit its contribution as well as employee subscription together in treasury which thereafter, shall deposit the same to NSDL.

Accounting of Pension- The Pension Accounts of Non-Centralised employees shall be maintained by the Municipality.

Nodal Agencies- The Nodal Agencies for pension of Non-

Centralised employees shall be the concerned municipalities.

The Employees appointed before October 2005 in Non-Centralised Services shall continue to be governed by the Uttar Pradesh, Nagar Palika (Non-Centralised) Retirement Benefit Rules, 1984(as amended from time to time and applicable to the State of Uttrakhand) for the pension benefits.

Leave, leave allowances, officiating pay, fees and honoraria

26. (1) Except as otherwise provided in these rules, all matters relating to leave and leave salary shall be regulated in the manner laid down in the leave rules applicable to the Government servants of like status and all amendments thereto together with all explanations and certifications issued from time to time, shall, *mutatis mutandis*, apply.

(2) Grant of pay, including officiating pay and additional pay, special pay, honorarium, compensatory allowance, subsistence allowance and the acceptance of fees shall be regulated on the same terms and conditions as are applicable to the Government servants of the same status under the U.P. Fundamental and Subsidiary Rules contained in U.P. Financial Hand-Book, Volume II, Parts II-IV.

(3) except as expressly provided in these rules, the provisions of the U.P. Fundamental and Subsidiary Rules, contained in the Financial Hand-book, Volume II, Parts II-IV and travelling allowance rules contained in Financial Hand-book, Volume III shall, *mutatis mutandis*, apply.

Age of Retirement

27. The age of retirement from the service of all employees of Palika Non–Centralised services shall be Sixty years beyond which no one shall ordinarily be retained in the service of the Municipality.

Retirement Benefits

28. All Retirement benefits of the employees of Palika (Non-Centralised) services shall be paid with the relevant

rules/provisions by the respective Municipal Corporations/Municipal Councils/Nagar Panchayats from where the employees retire.

Disciplinary Proceedings

29. 1. Subject to such modifications as Government may make from time to time, the disciplinary proceedings, appeal and represent against punishment shall be made in accordance with the Uttarakhand Government servants (Discipline and Appeal) Rules, 2003(as amended from time to time).

2. The Authority competent to impose any major and minor punishment on the employees of Non-Centralised services shall be the Appointing Authority as prescribed in these rules.

Canvassing

30. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be take into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulations of other Matters

31. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Saving

32. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to the provided for the candidates belonging to the Schedule Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes of citizens and other categories or persons to the State of Uttrakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

(D.S. Garbyal)
Secretary